<u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)</u> OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u> (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-3/2024-25/ No.Au/Trg/11-3/2024-25/ दिनांक: 06 फ़रवरी 2025 Date: 06 February 2025

अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER NO. 351

अनुभागीय आदेश संख्या 282 दिनांक 11.12.2024 के आंशिक संशोधन में, श्रीमती लक्ष्मी आई एन, एएओ / रिपोर्ट (एएमजी III)/ ऑडिट II दल को सीधी भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, विभागीय रूप से पदोन्नत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और पर्यवेक्षकों के लिए 6-सप्ताह के ओरिएंटेशन प्रशिक्षण में भाग लेने से छूट दी गई है। जिसे आरसीबीकेआई, चेन्नई में आयोजित किया जाना निर्धारित है।

In partial modification of Sectional Order No. 282 dated 11.12.2024, Smt. Lekshmi I N, AAO / Report (AMG III)/ Audit II is exempted from attending the 6-week "Orientation training programme for Direct Recruit AAOs, Departmentally Promoted AAOs and Supervisors" scheduled to be conducted at RCBKI, Chennai.

(महालेखाकार के दिनांक 06 जनवरी के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

Copy to:

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	.4	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक .प.ले)-I)/(ले.पII)
2.	संबंधित अधिकारी	.5	प्र.प.ले) .ले.मI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	.6	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए